भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1546
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत धन का आवंटन

1546. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत निधियों का पारदर्शी आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों की आय बढ़ाने और खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने में योजना की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है;

(ग) पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार अब तक आवंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पहलों से सीधे लाभ मिले?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों, साथ ही एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए भी परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से ₹15 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई स्वरूप में मांग आधारित है और पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है ।

मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। लागू योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित दस्तावेजों के सत्यापन और वित्तीय प्रगति के अनुरूप वास्तविक प्रगति को सत्यापित करने के लिए इकाई के निरीक्षण के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को अनुदान सहायता /सब्सिडी जारी की जाती है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सब्सिडी जारी करना केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर है, यानी पीआईए द्वारा वास्तविक व्यय किए जाने

के बाद। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसानों की आय और फसलोत्तर नुकसान सहित विभिन्न मापदंडों पर पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी करवाता है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में 55 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनकी परियोजना लागत ₹955.03 करोड़ है तथा अनुमोदित अनुदान सहायता/सब्सिडी ₹254.90 करोड़ है। अब तक इन 55 परियोजनाओं के लिए ₹190.11 करोड़ जारी किए जा चुके हैं । अनुमोदित अनुदान सहायता/सब्सिडी तथा जारी अनुदान सहायता/सब्सिडी का राज्यवार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(घ): पीएमकेएसवाई की परिकल्पना एक व्यापक पैकेज के रूप में की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में भी सुधार करेगा, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, कृषि उत्पाद की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। अब तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत कुल 1646 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 1087 पूरी हो चुकी हैं/चालू हैं, जिससे 3317538 किसान लाभान्वित हुए हैं।

******

अनुबंध- I

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत निधियों" का आवंटन के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1546 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित राज्यवार परियोजनाओं का समेकित विवरण						
क्र. सं.	**राज्य**	**अनुमोदित परियोजनाएँ**	**पूर्ण/प्रचालनरत**	**पीसी (करोड़ रुपए में)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**	**जारी की गई अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार	2	1	5.36	3.17	3.04
2	आंध्र प्रदेश	79	33	3352.36	778.99	445.23
3	अरुणाचल प्रदेश	12	2	177.89	82.51	25.38
4	असम	112	54	1329.97	467.64	244.77
5	बिहार	16	4	755.36	172.37	96.87
6	चंडीगढ़	0	0	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	10	6	275.64	83.88	61.42
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	1	26.34	3.64	3.47
9	दिल्ली	21	21	31.15	10.90	10.49
10	गोवा	2	2	31.33	7.71	7.56
11	गुजरात	108	84	2648.03	663.52	525.36
12	हरियाणा	100	79	1554.82	415.97	277.62
13	हिमाचल प्रदेश	45	36	754.54	308.47	239.49
14	जम्मू और कश्मीर	40	30	386.92	194.32	148.26
15	झारखंड	2	2	3.10	0.94	0.77
16	कर्नाटक	97	76	1433.77	407.64	288.45
17	केरल	51	33	985.37	303.87	208.06
18	लद्दाख	0	0	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	57	29	1135.15	379.22	244.44
21	महाराष्ट्र	259	168	5039.80	1373.81	884.77
22	मणिपुर	8	4	117.29	59.19	22.33
23	मेघालय	10	6	117.08	71.92	12.57
24	मिजोरम	4	3	107.01	66.32	59.17
25	नागालैंड	6	2	131.34	78.90	51.18
26	उड़ीसा	29	12	785.21	215.33	146.43
27	पुडुचेरी	2	2	0.81	0.81	0.70
28	पंजाब	77	60	1580.62	432.07	353.32
29	राजस्थान	57	33	1124.20	325.37	175.41
30	सिक्किम	1	1	6.17	3.64	3.64
31	तमिलनाडु	148	103	1959.23	508.51	305.10
32	तेलंगाना	68	32	1849.12	404.44	211.46
33	त्रिपुरा	9	8	118.89	64.63	59.51
34	उत्तर प्रदेश	99	70	2046.55	489.43	337.67
35	उत्तराखंड	59	50	1033.08	476.05	437.81
36	पश्चिम बंगाल	55	40	955.03	254.90	190.11
	कुल	**1646**	**1087**	**31858.53**	**9110.08**	**6081.86**

*****